



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-4562-औ0सं0/2016-26(2)ए0एस0/06

दिनांक 19 सितम्बर, 2017

प्रबन्ध निदेशक,

मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,

विद्युत वितरण निगम लि0,

लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

सर्वोच्च प्राथमिकता

अति महत्वपूर्ण

विषय:-वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विद्युत लाईनों व उपकेन्द्रों के अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों हेतु नियोजित संविदा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान RTGS द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं0-3032-औ0सं0/2016-26(2)ए0एस0/06 दिनांक 25.07.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं आदेश सं0-4242-औ0सं0/2016-26(2)ए0एस0/06 दिनांक 24.10.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाह्य सेवा प्रदाता/कार्यदायी संस्था द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे संविदा श्रमिक के बैंक खाते में संविदाकार द्वारा जमा कराये जाने, इन श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराये जाने, संविदा में प्रशिक्षित श्रमिकों को नियोजित करने, सुरक्षा व श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, ई0पी0एफ0 की कटौती सुनिश्चित करने, ठेकेदारों/संविदाकारों के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाईनों के अनुरक्षण हेतु लगाये गये संविदा श्रमिकों का विवरण व सूची समस्त उपकेन्द्रों पर रखने के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रश्नगत विषय में समय-समय पर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले कार्मिकों/अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश भी दिये गये हैं।

कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष विभिन्न माध्यमों, कर्मचारी संगठनों से यह संज्ञान में आ रहा है कि संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक नहीं किया जा रहा है, अनेक खण्डों में संविदाकार द्वारा संविदा श्रमिक को मजदूरी का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे बैंक खाते में नहीं कराया जा रहा है जिसे कारपोरेशन के उच्च प्रबन्धन द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि वाह्य सेवा प्रदाता/संविदाकार द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को RTGS के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता की होगी। यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाये।

उक्त निर्देशों से समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों एवं संविदाकारों को अवगत करा दिया जाये। निर्देशों का पालन न करने वाले संविदाकारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये एवं कारपोरेशन के निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-4562-औ0सं0/2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :- यथोपरि।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार-14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-3032-औ०सं०/2016-26(2)ए०एस०/०६

दिनांक : 25 जुलाई, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि०,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

Speed Post

सर्वोच्च प्राथमिकता
अति महत्वपूर्ण

विषय:- वाह्य सेवा प्रदाता-आऊट सोर्सिंग-(ठेकेदारों/संविदाकारों) द्वारा उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य में नियोजित संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानूनो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं०-869-औ०सं०/2016-26(2)ए०एस०/०६ दिनांक 12.03.2014, आदेश सं०-2402-औ०सं०/2012-26(2)ए०एस०/०६ दिनांक 09.08.2012 एवं आदेश सं०-1009-औ०सं०/2014-26(2)ए०एस०/०६ दिनांक 22.03.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाह्य सेवा प्रदाता/कार्यदायी संस्था द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा कराये जाने, इन श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराये जाने, संविदा में प्रशिक्षित श्रमिकों को नियोजित करने, सुरक्षा व श्रम कानूनो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, ई०पी०एफ० की कटौती सुनिश्चित करने, (ठेकेदारों/संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण हेतु लगाये गये संविदा श्रमिकों का विवरण व सूची समस्त उपकेन्द्रों पर रखने के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रश्नगत विषय में समय-समय पर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले कार्मिकों/अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश भी दिये गये हैं।

कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष विभिन्न माध्यमों, कर्मचारी संगठनों से यह संज्ञान में आ रहा है कि संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक नहीं किया जा रहा है, जिसे कारपोरेशन के उच्च प्रबन्धन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इसी क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :-

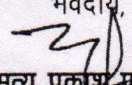
1. लाइनो व उपकेन्द्रों के अनुरक्षण और परिचालन हेतु वाह्य सेवा प्रदाता को कार्य दिये जाने के समय कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट-1970 के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त कार्यालय में अधीक्षण अभियन्ता (अनुबन्धकर्ता) द्वारा प्रिन्सिपल इम्प्लायर का पंजीकरण कराया जाये।
2. संविदा पर श्रमिकों को लिये जाने के सम्बन्ध में टेण्डर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये तथा इसे वेबसाइट पर भी डाला जाये। टेण्डर में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाये कि कुशल व अकुशल श्रमिकों को श्रमायुक्त उ०प्र० द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी इससे कम धनराशि होने पर टेण्डर पर विचार नहीं किया जाये। इसके अतिरिक्त संविदाकार का कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन में ई०पी०एफ० कोड आवंटन प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

3. संविदाकार द्वारा उपश्रमायुक्त कार्यालय से कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट-1970 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में संविदा अवैध समझी जायेगी एवं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
4. घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना हेतु सभी संविदा श्रमिकों का दुर्घटना बीमा "कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923" के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनी से संविदाकार द्वारा कराया जाये एवं बीमा राशि पर वहन किये गये व्यय को प्रतिमाह के आधार पर संविदाकार द्वारा टेण्डर अभिलेख में कोट किया जाये एवं जिसका भुगतान कारपोरेशन द्वारा संविदाकार को प्रतिमाह बीजक के साथ किया जाये। दुर्घटना बीमा की धनराशि कारपोरेशन द्वारा विद्युत दुर्घटना में मृत्यु/घायल होने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुरूप होगी।
5. टेण्डर फाइनल करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि ठेकेदार/संविदाकार का पूर्व ट्रैक रिकार्ड क्या है, उसने कहाँ-कहाँ पर कार्य किया है, तथा कितने मजदूर संविदा पर कार्य हेतु नियोजित किये हैं एवं पूर्व कार्य अवधि में कितने श्रमिकों की दुर्घटनाएं हुई हैं।
6. संविदाकार द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उनके फोटो तथा श्रम कानून के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
7. संविदाकार के माध्यम से नियोजित श्रमिकों हेतु अनुभवी कार्मिकों एवं आईटीआई प्रशिक्षु को वरीयता दी जाये।
8. एक खण्ड में एक से अधिक संविदाकारों से अनुबन्ध न किया जाये।
9. संविदाकार द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमित रूप से प्रतिमाह 15 तारीख तक मजदूरी भुगतान चेक के माध्यम से खण्डीय अधिकारी/उसके प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक माह के अन्त में संविदा श्रमिकों की मजदूरी के मद में आवश्यक धनराशि का आकलन कर सम्बन्धित खण्ड डिस्काम के लेखा इकाई से फण्ड की मांग करें।
11. संविदा श्रमिकों की मजदूरी हेतु मांगी गई धनराशि डिस्काम के लेखा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से प्रथम सप्ताह में अवमुक्त करा दी जाये जिससे सम्बन्धित खण्ड द्वारा नियमित रूप से संविदाकार को भुगतान हो सके।
12. सेवायोजक एवं श्रमिक का ईपीओएफ अंशदान भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय में जमा किये गये जाने की पुष्टि व प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही अगले माह का भुगतान संविदाकार को किया जाये।
13. सहकारी समितियों के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिकों के ईपीओएफ/सीपीओएफ के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश सं०-1009-औसं०/2014-26(2)ए०एस०/06 दिनांक 22.03.2014 के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
14. वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विद्युत अनुरक्षण कार्य में लगाये गये संविदा कर्मियों को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ०प्र० द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनुरक्षण कार्य के लिये आवश्यक टी० एण्ड पी०, सुरक्षा उपकरण यथा दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बैल्ट आदि की व्यवस्था संविदाकार द्वारा सुनिश्चित की जाये।
15. वाह्य सेवा प्रदाता के कर्मचारियों की विद्युतीय दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु भारतीय विद्युत नियमावली-1956 के प्राविधानों के अनुसार वर्क परमिट (Work-Permit) प्रारूप संलग्न है, निर्गत कर अधिकृत कर्मकार के माध्यम से कार्य सम्पादन किया जाना एवं शटडाउन के रूल्स के अनुसार विद्युत लाइन बन्द व चालू कराये जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

16. संविदाकार के माध्यम से कार्यों पर नियोजित किये गये श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश-2402 दिनांक 09.08.2012 एवं संख्या-2348 दिनांक 03.08.2012 का पालन सुनिश्चित किया जाना एवं निर्धारित प्रारूप में उपकेन्द्रों पर नियोजित किये गये संविदा श्रमिकों का विवरण व सूचना उपलब्ध कराया जाना।
17. संविदा श्रमिकों को फोटो-युक्त पहचान पत्र सम्बन्धित संविदाकार एवं इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रदान किया जाये।
18. संविदाकार को निर्देशित किया जाये कि माह के प्रथम सप्ताह में संविदाकार गत माह का बीजक प्रस्तुत करें। बिल के साथ विगत माह में मजदूरी भुगतान रजिस्टर तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति, ई0पी0एफ0 का चालान एवं ई0सी0आर0 की प्रति प्रस्तुत करे।
19. कारपोरेशन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले संविदाकार को ठेका न दिया जाये और उन्हें 'ब्लैकलिस्ट' किया जाये साथ ही सम्बन्धित इकाई के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा डिस्काम की समीक्षा बैठक में भी अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

 (सत्य प्रकाश पाण्डेय)
 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-3032-औ0सं0/2016, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन-निगम, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-4242-औ०सं०/2016-26(2)ए०एस०/2006

दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि०,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषय :- वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विद्युत लाईनों व उपकेन्द्रों के अनुरक्षण सम्बन्धित कार्यों हेतु नियोजित संविदा श्रमिकों की मजदूरी का नियमित भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं०-3032-औ०सं०/2016-26(2)ए०एस०/06 दिनांक 25.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के बिन्दु सं०-09 के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि :-

1. डिस्काम के विभिन्न इकाईयों में कार्यरत वाह्य सेवा प्रदाता द्वारा संविदा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान R.T.G.S के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाय इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा।
2. उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 25.07.2016 के बिन्दु सं०-07 के संदर्भ में यह निर्देशित किया जाता है कि नई निविदा के अन्तर्गत कार्य कराने की स्थिति में पूर्व में काम कर चुके अनुभवी श्रमिकों को यथा-सम्भव नियोजित करवाने का प्रयास किया जाय।

कृपया उक्तानुसार सभी अधीक्षण अभियन्ताओं (Contracting Engineers) को उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-4242-औ०सं०/2016/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), क्षेत्र, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को।
2. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407 शक्ति भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)